(५०)

संख्या- 2057/बयालिस-2015-38/एस0पी0/104/82

प्रेषक,

भुवनेश कुमार,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खेल अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 28 अगस्त, 2015

विषय :- भूतपूर्व प्रसिद्ध खिलाड़ियों/पहलवानों को वित्तीय सहायता दिये जाने सम्बन्धी धनराशि में वृद्धि के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनोदश संख्या- 1090/बयालिस-96-407/एस0पी0/77, दिनांक 26 मार्च, 1996, शासनादेश संख्या- एस0पी0/1394/बयालिस-96-407/एस0पी0/77, दिनांक 26 मार्च, 1990, शासनादेश संख्या- एस0पी0/3990/बयालिस-2001-407/एस0पी0/77, दिनांक 14.12.2001 एवं शासनादेश संख्या- 1730/बयालिस-2005-38/एस0पी0/104/82, दिनांक 31 मई, 2005 के क्रम में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय भूतपूर्व प्रसिद्ध खिलाड़ियों/पहलवानों को वित्तीय सहायता दिये जाने सम्बन्धित उक्त शासनादेश दिनांक 31 मई, 2005 को तात्कालिक प्रभाव से संशोधित करते हुए आर्थिक सहायता योजना को निम्नानुसार संशोधित किये जाने की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं :-

(1)- राज्य स्तर के खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता की दर रू0 2,000/- से बढ़ाकर 4,000/- रू0 प्रति मास कर दिया जाये।

(2)- राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता की दर रू0 3,000/- से बढ़ाकर 6,000/- रू0 प्रति मास कर दिया जाये।

(3)- अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता की दर रू0 5,000/- से बढ़ाकर 10,000/- रू0 प्रति मास कर दिया जाये।

(4)- उपरोक्त श्रेणी 1, 2 व 3 के पात्र खिलाड़ियों की आय सीमा को रू0 10,000/- रूप से बढ़ाकर रू0 20,000/- किया जायेगा।

......2

सं0 एस0पी0 2152/42-107/एस0पी0/77

प्रेषक,
श्री के0 एल0 दीपक,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
निदेशक,
खेल निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लखनऊ दिनांक 30 जुलाई, 1987।

खेल अनुभाग

विषयः- प्रदेशीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के भूतपूर्व खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता दिये जाने संबंधी वृद्ध तथा विपदा ग्रस्त भूतपूर्व खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता में वृद्धि।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन द्वारा गठित उप समिति की बैठक दिनांक 28 मई, 1987 के लिये गये निर्णय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बढ़ती हुई मंहगाई एवं बढ़ते मूल्य सूचकांक को दृष्टि में रखते हुये राज्यपाल महोदय वृद्ध तथा विपदा ग्रस्त भूतपूर्व खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता नियमावली की विज्ञप्ति संख्या एस0पी0 1015/बयालीस-12 एस0पी0 81/72, दिनांक 31 मार्च, 1975 में उल्लिखित वित्तीय सहायता की धनराशि एवं उसकी प्राप्ति की प्रक्रिया को निम्नवत संशोधित करने के निर्णय लिये जाने पर सहर्ष सहमति प्रदान करते हैं :-

(1) आर्थिक सहायता के संबंध में प्रार्थना पत्र देने पर यह आवश्यक होगा कि प्रथम बार खिलाड़ी द्वारा अपनी आय के संबंध में जिला अधिकारी से आय प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रस्तुत किया जाय। आगामी वर्षों में संबंधित क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी द्वारा दिया गया आय प्रमाण पत्र मान्य होगा परन्तु क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी द्वारा यह प्रमाण पत्र अंकित करना होगा कि उन्होंने अपने आपको सन्तुष्ट कर लिया है कि प्रार्थी की आय की बढ़ोत्तरी नहीं हुई है।

(2) आर्थिक सहायता की पात्रता के लिये, यह निर्णय लिया गया कि प्रार्थी के समस्त निजी साधनों से होने वाली आय की सीमा को बढ़ाकर रूपया 1,000/-(रूपये एक हजार मात्र) प्रतिमास कर दिया जाये।

2/-

(3) खिलाड़ियों एवं पहलवानों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता के संबंध में विभिन्न स्तर के खिलाड़ियों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता की धनराशि के संबंध में निम्न निर्णय लिया गया गया ।

(1) राज्य स्तर के खिलाड़ी को रू0 100/- प्रतिमास से बढ़ाकर रू0 250/- प्रति मास ।

(2) राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को रू0 150/- प्रतिमास से बढ़ाकर रू0 350/- प्रति मास ।

(3) अन्तरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को रू0 200/- प्रति मास से बढ़ाकर रू0 500/- प्रतिमास ।

(4) राज्य, राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों की परिभाषा के संबंध में संशोधन हेतु निम्नलिखित निर्णय लिया गया :-

(1) राज्य स्तर- वे खिलाड़ी जिन्होंने राज्य की अधिकृत टीम का प्रतिनिधित्व किया हो ।

(2) राष्ट्रीय स्तर- वे खिलाड़ी जो राष्ट्र की अधिकृत टीम के सदस्य रहे हों ।

(3) अन्तरराष्ट्रीय स्तर- वे खिलाड़ी जिन्होंने राष्ट्रीय टीम के सदस्य, टोकर, ओलम्पिक, एशियाई, कामनवेल्थ खेल, विश्व कप खेलों में राष्ट्र का प्रतिनिधित्व किया हो ।

(5) खिलाड़ी के जीवित रहने संबंधी प्रार्थना पत्र के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि प्रार्थी खिलाड़ी को प्रथम बार क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर इसे प्राप्त करना चाहिये । आगामी वर्षों में क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी अथवा दो राजपत्रित अधिकारी द्वारा दिये गये प्रमाण-पत्र भी मान्य होंगे । यदि कोई खिलाड़ी किसी कारणवश मुख्यतः बीमारी आदि की स्थिति में क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी के सामने उपस्थित होने में असमर्थ है तो उस स्थिति में विशेष परिस्थितियों में दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा दिये गये प्रमाण-पत्र भी आर्थिक सहायता के लिये मान लिये जायेंगे ।

2/---

2- इन आदेशों से समस्त संबंधित को अवगत कराने हेतु आप द्वारा एक परिपत्र निर्गत किया जाये तथा निर्गत परिपत्र की 5 प्रतियाँ शासन को भी उपलब्ध कराई जाये ।

भवदीय,

(जे0 एस0 दीपक)
संयुक्त सचिव ।

सं0 एस पी 2159(1)/42-407/एस0 पी0/77- तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

(2)- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

आज्ञा से,

(जे0 एस0 दीपक)
संयुक्त सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन,
खेलकूद अनुभाग,
संख्या एस0एल0(1)-1019/पन्द्रह-1-4(एम.पी./72),
लखनऊ दिनांक मार्च 31, 1975.

विज्ञप्ति/प्रकीर्ण

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के खण्ड (2) के अधीन अधिकारों का प्रयोग कर
उत्तर प्रदेश के राज्यपाल अशक्त, वृद्ध अथवा विपद्ग्रस्त भूतपूर्व खिलाड़ियों को वित्तीय
सहायता दिये जाने से संबंधित निम्नलिखित नियमावली बनाने की कृपा करते हैं :-

यह नियमावली अशक्त, वृद्ध अथवा विपद्ग्रस्त भूतपूर्व खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता
नियमावली वर्ष 1975 कहलायेगी । [illegible] शासन के स्वीकृत के अधीन रहते हुए
[illegible] वित्तीय वर्ष में उपलब्ध धनराशि निदेशक, खेलकूद विभाग के निस्तारण पर रखी
जायेगी जो अपने विवेकानुसार ऐसे व्यक्तियों को जिन्होंने खेलकूद में योगदान दिया है और
जो अशक्त, वृद्ध तथा विपद्ग्रस्त हैं, वित्तीय सहायता स्वीकृत करेंगे ।

2- पात्रता :- इस योजना के अधीन वित्तीय सहायता केवल ऐसे भूतपूर्व खिलाड़ी को
ही दी जायेगी जो निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति करता हो :-

(क) खेलकूद में उसके योगदान को विशिष्ट माना गया हो या जिसने खेलकूद के लिए प्रशंसनीय तथा विशिष्ट सेवा की हो ।
(ख) जो ऐसे कारणों से, जो उसके नियंत्रण के बाहर हों, स्वतंत्र रूप से अपने जीविकोपार्जन हेतु कोई उचित आय अर्जित करने में असमर्थ हों तथा आर्थिक दृष्टि से उसकी दशा खराब हो ।
(ग) उसके निजी साधनों से होने वाली आय रु0 400 प्रतिमास से अधिक न हो ।
(घ) उसे राज्य सरकार या भारत सरकार के किसी अन्य विभाग से कोई सहायता न मिल रही हो ।

यदि किसी व्यक्ति को भारत सरकार से मासिक सहायता मिलती हो तो इस योजना
के अधीन राज्य सरकार द्वारा उसे दी जाने वाली मासिक सहायता की धनराशि किसी भी
दशा में उस धनराशि से अधिक न होगी जिससे भारत सरकार की योजना के अधीन मिलने
वाली सहायता से मिलाकर कुल 200 रु0 प्रतिमास से अधिक हो जाये ।

3- प्रार्थना-पत्र देने की प्रक्रिया :- वित्तीय सहायता के लिए प्रार्थना-पत्र निर्धारित प्रारूप
में प्रार्थी द्वारा सम्बन्धित मण्डलीय क्रीड़ा अधिकारी के माध्यम से निदेशक, खेलकूद निदेशालय
उत्तर प्रदेश को दिया जा सकता है । अथवा सरकार स्वतः किसी मामले में विचार कर
सकती है ।

4- सहायता का प्रारूप : सहायता की अधिकतम धनराशि निम्नलिखित होगी :

1- राज्य स्तरीय खिलाड़ी 100 रु0 प्रतिमास तक ।
2- राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी 150 रु0 प्रतिमास तक ।
3- अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी 200 रु0 प्रतिमास तक ।

इसके अतिरिक्त आपवादिक परिस्थितियों में जो लिखित रूप में दर्ज की जायेगी किसी
खिलाड़ी को वित्तीय सहायता के अतिरिक्त एकमुश्त वित्तीय सहायता भी स्वीकृत की जा
सकती है जिससे कि खिलाड़ी अपने इलाज का खर्च या अपनी पुत्री के विवाह से संबंधित
व्यय को वहन करने में सक्षम हो सके ।

5- स्वीकृति देने वाला प्राधिकारी :- वित्तीय सहायता निदेशक, खेलकूद द्वारा स्वीकृत की जायेगी, जो उचित होने पर देंगे। निदेशक, खेलकूद प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अधिक से अधिक एक माह के अन्दर खेलकूद विभाग को एक सूचना, भेजेंगे कि संक्षिप्त विवरण सहित योजना के अधीन किन-किन खिलाड़ियों को किस प्रकार की तथा कितनी कितनी वित्तीय सहायता दी गई। प्रत्येक व्यक्ति को दी जाने वाली सहायता की धनराशि जैसा कि ऊपर नियम 4 में उल्लिखित है उसके मामले के [illegible] पर निर्भर करेगी।

6- अवधि :- नीचे दिये हुए नियम 7 के उपबन्ध के अधीन रहते हुए, इस योजना के अधीन स्वीकृत मासिक सहायता ऐसी अवधि के लिए दी जायेगी जो निदेशक/सरकार द्वारा निश्चित की जाये।

7- सहायता का बन्द किया जाना :-

(1) यदि सहायता प्राप्त करने वाले व्यक्ति के निजी साधनों से मासिक आय बढ़कर प्रतिमाह [illegible] रु० से अधिक हो जाता है तो इस योजना के अधीन दी जाने वाली सहायता बन्द कर दी जायेगी।

(2) निदेशक स्वयं भी सहायता पाने वाले व्यक्ति को एक माह की सूचना देने के बाद स्वविवेकानुसार सहायता देना बन्द कर सकते हैं।

(3) सहायता पाने वाला कोई व्यक्ति निदेशक को लिखित नोटिस देकर सहायता का परित्याग भी कर सकता है। ऐसे मामलों में परित्याग करने के उक्त पत्र दिनांक से सहायता बन्द कर दी जायेगी।

(4) सहायता पाने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर सहायता तुरन्त बन्द कर दी जायेगी।

खेलकूद विभाग की विज्ञप्ति संख्या एस०पी०-134/18(एस०पी०)/72, दिनांक 10 जनवरी, 1973, पठित संख्या एस०पी०-543/73/18(एस०पी०)/72, दिनांक अक्टूबर, 20, 1973 तथा संख्या एस०पी०-1362/18(एस०पी०)/72, दिनांक 2 फरवरी, 1974 को एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।

आज्ञा से,

ह० राज कुमार भार्गव
सचिव।

संख्या एस०पी० (1)/[illegible]-18(एस०पी०)/72, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को प्रेषित :-

1- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।

2- निदेशक, खेलकूद निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,

ह० श्याम सुन्दर
उप सचिव।

मोहित/-